भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2010

संख्या लैज़ 7/2010.—लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑव वेटॅरिनॅरि एण्ड ऐनिमल साईऍन्सिज हिसार ऐक्ट, 2010 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 30 जून, 2010, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2010 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार अधिनियम, 2010

पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान की आधुनिक प्रणालियों में संबद्धक, अध्यापन और उचित तथा व्यवस्थित शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है ।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शिक्षा परिषद्" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद्;

(ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय या संस्था;

(ग) "पशु" से अभिप्राय है, पशुधन, पालतू पशु, वन्य पशु, जीवित पशु तथा जिसमें मछली, पक्षी तथा सरीसृप सम्मिलित होंगे;

(घ) "पशु विज्ञान" से अभिप्राय है, प्रजनन विज्ञान, पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्धन, पशु आहार, पशुधन उत्पाद, सहबद्ध विज्ञान तथा चारा प्रौद्योगिकी;

(ङ) "बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 10 के अधीन गठित बोर्ड;

(च) "महाविद्यालय" से अभिप्राय है, हिसार में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय या कोई अन्य महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय द्वारा कैम्पस में स्थापित तथा अनुरक्षित हो;

(छ) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, अध्यापक तथा अन्य अमला सहित विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ज) "वर्तमान विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार;

(झ) "विस्तार शिक्षा" से अभिप्राय है, पशु चिकित्सक, पैरा–पशुचिकित्सा अमला, पशुधन किसान, गृह निर्माता और पशु स्वास्थ्य, कल्याण, उन्नत पशुपालन व्यवसाय से सम्बन्धित अन्य समूह और पशु उत्पादन और विपणन से सम्बन्धित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण से संबंधित शैक्षिक गतिविधियाँ तथा इसमें पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, मत्स्य पालन विभाग या कोई अन्य पदाभिहित विभाग/अभिकरण के माध्यम से पशुधन फार्म तथा फार्म गृहों के लिए नई प्रौद्योगिकी तथा नवीनता को लाने के लिए प्रदर्शन शामिल हैं;

(ञ) "मत्स्य विज्ञान" से अभिप्राय है, जलीय जीवन तथा इसके आसपास के जीव विज्ञान, वाणिज्यिक उपयोग तथा संरक्षण की कला तथा ज्ञान विज्ञान सहित आसपास के संघटक;

(ट) "छात्रावास" से अभिप्राय है, छात्रों के लिये निवास यूनिट;

(ठ) "संस्था" से अभिप्राय है, उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए प्रशिक्षण देने वाला कोई अस्पताल, केन्द्र या अन्य संस्था;

(ड) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित;

(ढ) "मान्यताप्राप्त अध्यापक" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी संस्था में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(ण) "परिनियमों" तथा "विनियमों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम तथा विनियम;

(त) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(थ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(द) "छात्र" से अभिप्राय है, उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या किसी शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय या इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था में दर्ज कोई व्यक्ति;

(ध) "अध्यापक" में शामिल हैं विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा देने वाला निदेशक, डीन, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ आचार्य, आचार्य, सह–आचार्य/उपाचार्य, सहायक आचार्य/प्राध्यापक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति;

(न) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार;

(प) "पशुचिकित्सा" से अभिप्राय है, पशुचिकित्सा शल्य–चिकित्सा और चिकित्सा–शास्त्र में कला तथा विज्ञान और इसमें शामिल है,–

(i) पशुओं में रोग निदान, और पशुओं की क्षति;

(ii) ऐसे निदान पर आधारित सलाह देना;

(iii) पशुओं की चिकित्सा या शल्य उपचार;

(iv) पशुधन बीमारियों की रोकथाम और नियन्त्रण के लिये किये गये उपाय;

(v) जुनोजिज और जानपदिक–रोगविज्ञान।

अध्याय–II

विश्वविद्यालय की स्थापना

विश्वविद्यालय की स्थापना।

3. (1) सम्पूर्ण राज्य में अधिकारिता रखने वाले लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय उप–धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट नाम से निगमित निकाय होगा और शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर होगी । उसे दोनों प्रकार की चल और अचल सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद करेगा या करवाएगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हिसार में या ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ।

(4) विश्वविद्यालय कोई भी अचल सम्पत्ति, जो इसमें निहित हो गई है, या इस द्वारा अर्जित की गई है, को राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना पट्टे पर नहीं देगा, न ही बेचेगा या अन्यथा अन्तरण नहीं करेगा।

उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करने, देने या जारी करने पर रोक।

4. (1) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के सिवाय, कोई भी व्यक्ति या संस्था विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर इसे समनुदेशित ज्ञान के विशेष क्षेत्र में स्वयं किसी उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि को प्रदान नहीं करेगा, नहीं देगा या जारी नहीं करेगा या प्रदान करने, देने या जारी करने के लिए स्वयं को हकदार नहीं बनायेगा जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई, दी गई या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के समरूप है या मिलती–जुलती नकल की है।

(2) उप–धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन, तीन वर्ष तक के कारावास से या पांच हजार रुपए तक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय अपराध होगा तथा यथाविहित रीति में भी बरता जाएगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया है, वहां अपराध करने के समय पर इसके कारबार के संचालन का प्रभारी या के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उप–धारा (2) के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा।

(4) उप–धारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो गया है कि अपराध सहमति या मौनानुकुलता से किया गया है, या कि अपराध कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरुप किया गया है, वहां ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी यथाविहित रीति में उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा।

establishing a new Veterinary ...

5. विश्वविद्यालय में सभी अध्यापन इस निमित्त बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तथा के नाम से संचालित किये जाएंगे। विश्वविद्यालय में अध्यापन।

6. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

(क) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, जो यह समय–समय पर अवधारित करे;

(ख) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा अन्य सहबद्ध विज्ञान में शिक्षा–प्राप्ति तथा अनुसंधान में और प्रगति करने तथा जरूरतमन्द लोगों के ऐसे विशेष ज्ञान के विस्तार का उत्तरदायित्व लेने;

(ग) पशुधन तथा पशुधन उत्पादों की विपणन नीतियों में, पशुधन नस्लों तथा वन्य पशुओं के संरक्षण के अध्ययन का उत्तरदायित्व लेने;

(घ) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के पशुपालन, मत्स्यपालन तथा डेयरी विकास से संबंधित विभागों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के बराबर रखने की दृष्टि से पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क करना तथा जीव संबंधी संयोजन स्थापित करना;

(ङ) अन्तरराष्ट्रीय मानकों के लिए पशुचिकित्सा अध्ययन के स्तर को बढ़ाना; और

(च) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो बोर्ड समय–समय पर अवधारित करे।

7. विश्वविद्यालय निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य।

(क) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा उसमें तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना;

(ख) विस्तार शिक्षा के माध्यम से अनुसंधान तथा तकनीकी सूचना के निष्कर्षों के प्रसार के लिये सुविधाएं उपलब्ध करवाना;

(ग) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान तथा मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान में उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधियां प्रारंभ करना;

(घ) परीक्षा आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्ति को उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, जिसने–

(i) विशिष्ट पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है; या

(ii) यथाविहित रीति में विश्वविधालय में अनुसंधान किया है;

(ङ) यथाविहित रीति में सम्मानित उपाधि या अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करना;

(च) क्षेत्र कर्मकार, पशुधन कृषक तथा अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में दर्ज नहीं हैं, के लिए व्याख्यान तथा शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा यदि आवश्यक हो, उन्हे प्रमाण–पत्र प्रदान करना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, संगठनों तथा प्राधिकरणों को ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जो अवधारित किए जाएं, सहयोग देना;

(ज) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान से सम्बन्धित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण करना;

(झ) विश्वविद्यालय से किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्ध करना तथा उससे सम्बद्धता वापस लेना;

(ञ) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, अनुसंधान केन्द्र, प्रसंस्करण संयन्त्र तथा संग्रहालयों को स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना;

(ट) विश्वविद्यालय में आचार्य पद, सह–आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, अध्यापक पद तथा अन्य अध्यापन अनुसंधान तथा विस्तार पद संस्थित करना, निलम्बित करना या समाप्त करना तथा उनकी उपयुक्त नियुक्तियां करना;

(ठ) प्रशासनिक तथा अन्य पदों को सृजित करना, निलम्बित रखना या समाप्त करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(ङ) परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन-वृत्तियां, वजीफे, प्रदर्शन, पदक तथा पुरस्कार प्रारंभ करना, समाप्त करना या निलम्बन करना तथा पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान में अनुसंधान से सम्बन्धित गुणागुण तथा अनुसंधान के कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना;

(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये छात्रावास स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना;

(ण) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये रिहायशी आवास स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना ;

(त) यथाविहित ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों का अवधारण करना, मांग करना तथा प्राप्त करना;

(थ) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना तथा विनियमित करना;

(द) विश्वविद्यालय की चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रबन्धन करना तथा पर नियन्त्रण रखना;

(ध) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए सरकार या किसी व्यक्ति से उपहार, चन्दा या दान नकदी या किसी रूप में प्राप्त करना तथा कायिक निधि सृजित करना :

परन्तु राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय द्वारा विदेश, ऐसे देश में विदेशी न्यास या किसी व्यष्टि या न्यास से कोई भी चन्दा स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(न) भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या किसी अन्य प्राधिकरण से अनुदान स्वीकार करना;

(प) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति सहित या के बिना केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या किसी अन्य निगमित निकाय से धन उधार लेना;

(फ) नियोजन ब्यूरो का अनुरक्षण करना; तथा

(ब) ऐसे सभी काम तथा कार्य करना, चाहे वे उपरोक्त कृत्यों से आनुषंगिक हैं या नहीं जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक हों।

सम्बद्धता ।

8. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, राज्य में वर्तमान विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त तथा से सम्बद्ध पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान के सभी महाविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त तथा से सम्बद्ध के रूप में समझी जाएंगी ।

(2) राज्य के भीतर अवस्थित पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान के विभिन्न शिक्षणों से संबंधित तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद स्थापित किए जाने वाले महाविद्यालय तथा संस्थाएं, ऐसी शर्तों के पूरा करने पर, जो सम्बद्धता के प्रयोजनों के लिए परिनियमों तथा विनियमों द्वारा अधिकथित हैं, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएंगी ।

अध्याय–III

विश्वविद्यालय का प्रबन्धन

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :–

(i) बोर्ड;

(ii) शिक्षा परिषद्;

(iii) अध्यापन बोर्ड; तथा

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किये जाएं।

बोर्ड ।

10. (1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र संभव, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, विश्वविद्यालय के प्रबन्धन के लिये बोर्ड गठित करेगी।

(2) विश्वविद्यालय का बोर्ड निम्नलिखित सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्यों से मिलकर बनेगा,–

सरकारी सदस्य

(क) कुलपति;

(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव;

(ग) राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के सचिव–

(i) पशुपालन तथा डेयरिंग; तथा

(ii) वित्त;

(घ) कुल–सचिव;

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में उप महानिदेशक (पशु–विज्ञान);

गैर–सरकारी सदस्य

निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रवर्गों में से सरकारी व्यक्ति न होते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, अर्थात् :–

(i) कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में अनुसंधान या शिक्षा विस्तार या विकास या प्रशासन की पृष्ठ भूमि सहित पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान या सहबद्ध विज्ञान में विख्यात वैज्ञानिक है;

(ii) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में प्रगतिशील कृषक या पशुधन प्रजनक हैं, पशुधन, मुर्गी पालन या मत्स्य में वैज्ञानिक कृषि तथा उनके सुधार में उसका अनुभव रखता है, तथा रूचि रखता है;

(iii) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में पशुचिकित्सा तथा पशुपालन विकास से सहयुक्त कोई विख्यात उद्योगपति तथा व्यवसायी है;

(iv) कोई अनिवासी भारतीय, हरियाणा में पैतृक पृष्ठ भूमि रखता हो जो राज्य सरकार की राय में विख्यात पशु चिकित्सक है; तथा

(v) कोई महिला जो राज्य सरकार की राय में ग्रामीण उन्नति तथा पशुपालन की पृष्ठ भूमि सहित उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता है।

(3) कुलाधिपति बोर्ड का मानद् अध्यक्ष होगा, कुलपति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तथा कुलसचिव बोर्ड का सदस्य–सचिव होगा ।

(4) बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी ।

(5) बोर्ड का कोई गैर–सरकारी सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(6) बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्य इस अधिनियम के अधीन यथा विहित दैनिक तथा यात्रा भत्तों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

बोर्ड के तकनीकी सलाहकार।

11. बोर्ड अपनी बैठकों में निम्नलिखित व्यक्तियों में से सभी या किन्हीं को तकनीकी सलाहकार के रूप में सहयुक्त कर सकता है, किंतु इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति किसी ऐसी बैठक में मत देने का हकदार नहीं होगा,–

(क) महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग;

(ख) निदेशक, मत्स्य पालन विभाग;

(ग) विश्वविद्यालय के डीनों या निदेशकों में से बोर्ड द्वारा आमंत्रित दो अधिकारी;

(घ) बोर्ड द्वारा आमंत्रित कोई अन्य विशेषज्ञ जो पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, सहबद्ध विज्ञान या किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो ।

बोर्ड की बैठक।

12. (1) बोर्ड ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा वह आवश्यक समझे, बैठक करेगा :

परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी।

(2) बोर्ड के चार सदस्यों से बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति होगी :

परन्तु यदि बोर्ड की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है, तो उसी कार्य संव्यवहार के लिए अगली बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

बोर्ड की शक्तियां तथा कर्तव्य।

13. बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति की नियुक्ति करना;

(ख) कुलपति द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करना;

(ग) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को बनाए रखना तथा नियंत्रण करना तथा विश्वविद्यालय की ओर से कोई सामान्य निदेश जारी करना;

(घ) विश्वविद्यालय की ओर से कोई सम्पत्ति स्वीकार करना या अन्तरण करना;

(ङ) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन के लिए रखी गई निधियों की व्यवस्था करना;

(च) विश्वविद्यालय से संबंधित धन का निवेश करना;

(छ) यथाविहित रीति में, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ज) विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर की आकृति विनिर्दिष्ट करना;

(झ) ऐसी समितियों की नियुक्तियां करना जो इसके उचित कृत्यों के लिए आवश्यक समझे;

(ञ) पूंजीगत उन्नयनों के लिए धन उधार लेना तथा इसके पुनः भुगतान के लिए उपयुक्त प्रबन्ध करना;

(ट) इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामले विनियमित तथा निर्धारित करना तथा अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों द्वारा बोर्ड को यथा प्रदत्त या अधिरोपित ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करना ।

शिक्षा परिषद् का गठन ।

14. (1) शिक्षा परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति;

(ख) कुलसचिव;

(ग) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन;

(घ) महाविद्यालय का डीन;

(ङ) निदेशक, विस्तार शिक्षा,

(च) निदेशक, अनुसंधान; तथा

(छ) विश्वविद्यालय के पांच वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष उनके सम्बन्धित डीन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उप धारा (1) के खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

शिक्षा परिषद् की शक्तियां।

15. (1) शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी मामलों की प्रभारी होगी तथा इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, अधीक्षण, संचालन तथा नियंत्रण करेगी तथा शिक्षण, शिक्षा, परीक्षा तथा उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्राप्त करने से संबंधित अन्य मामलों के स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा यथाविहित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

(2) सामान्यतः पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शिक्षा परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(क) पुस्तकालय के नियंत्रण तथा प्रबंधन सहित सभी शिक्षा संबंधी मामलों पर कुलपति को सलाह देना;

(ख) इसकी बैठकों में ऐसे विभागाध्यक्षों को सहयोजित करना, जैसा यह आवश्यक समझे;

(ग) आचार्यपद, सहयुक्त आचार्यपद, सहायक आचार्यपद तथा अध्यापक पद और अन्य अध्यापन पदों को संस्थित करने तथा उनके कर्त्तव्य तथा परिलब्धियों के संबंध में कुलपति को सिफारिश करना;

(घ) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार के विभागों के गठन या पुनर्गठन के लिए स्कीमें बनाना, उपांतरित करना अथवा पुनः प्रवर्तित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के संबंध में विनियम बनाना;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में विनियम बनाना तथा शर्तें जिन पर छात्र ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित किए जाएंगे;

(छ) उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि को अग्रसर करने के लिए पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम बनाना;

(ज) स्नातकोत्तर अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार के संबंध में सिफारिश करना;

(झ) विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में मान्यताप्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विहित की जाने वाली अर्हताओं के संबंध में सिफारिश करना ; तथा

(ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में रिक्ति ।

16. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण में गैर–सरकारी सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथासंभव शीघ्रता से उन्हीं व्यक्तियों के प्रवर्ग में से भरी जाएंगी, जिसका स्थान रिक्त होता है तथा ऐसी आकस्मिक रिक्ति पर इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति पदावधि की शेष अवधि के लिए, ऐसे प्राधिकरण का सदस्य होगा, उस व्यक्ति के लिए जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया जाता है, ऐसे रूप में बना रहेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो भिन्न निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है, चाहे वह विश्वविद्यालय का है या नहीं, उस प्राधिकरण में तब तक अपना स्थान बनाए रखेगा जब तक वह निकाय का निरंतर सदस्य बना रहता है जिसके लिए वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था तथा उसके बाद जब तक सम्यक् रूप से उसका उत्तराधिकारी नियुक्त या चयनित नहीं किया जाता है।

(3) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र किसी रिक्ति के विद्यमान होने या ऐसे प्राधिकरण के गठन में किसी त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या किए जाने का हकदार है, या चाहे इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार विश्वविद्यालय का कोई निर्णय है या नहीं है, तो उसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) कुल–सचिव;

(iv) लेखा–नियंत्रक;

(v) स्नातकोत्तर अध्ययनों के डीन;

(vi) महाविद्यालय का डीन;

(vii) निदेशक, अनुसंधान;

(viii) निदेशक, विस्तार शिक्षा;

(ix) निदेशक, छात्र कल्याण–एवं–संपदा अधिकारी;

(x) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों या विनियमों द्वारा इस प्रकार घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति । 18. (1) हरियाणा राज्य का राज्यपाल उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा तथा यदि उपस्थित है, तो उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के अधीन प्रदत्त किए जाएं।

निरीक्षण । 19. (1) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा वह निदेश करे, इसके निर्माणों, प्रयोगशालाओं, उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का निरीक्षण करवा सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में जाँच करवा सकता है।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय का नोटिस विश्वविद्यालय को देगा तथा ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच पर उपस्थिति होने तथा सुनवाई का अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जांच, जैसी भी स्थिति हो, के परिणाम के संदर्भ में, बोर्ड को ऐसी मंत्रणा सहित जैसा वह उचित समझे लिख सकता है।

(4) बोर्ड उपधारा (3) के अधीन इसे संसूचित मंत्रणा पर प्रस्तावित कार्रवाई करने के बारे में कुलधिपति को सूचित करेगा।

(5) यदि बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो कुलाधिपति बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कोई स्पष्टीकरण या किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निर्देश, जैसा वह ठीक समझे,जारी कर सकता है तथा बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

कुलपति । 20. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए, प्रख्यात पशुचिकित्सकों में से नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु जहां बोर्ड के सदस्य कुलपति के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के चयन के संबंध में सर्वसम्मत नहीं है, वहां नियुक्ति सरकार की मंत्रणा पर कुलाधिपति द्वारा प्रख्यात पशु चिकित्सकों में से की जाएगी :

परन्तु यह और कि सचिव, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति होगा ।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, बीमारी, अनुपस्थिति या अवकाश या कोई अन्य आकस्मिकता के कारण उसके कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो कुलाधिपति बोर्ड की सिफारिश पर किसी प्रख्यात पशुचिकित्सक को कुलपति के रूप में उक्त दशा के दौरान काम निपटान के लिए नियुक्त कर सकता है ।

(3) कुलपति की पदावधि चार वर्ष की होगी तथा वह अधिकतम पैंसठ वर्ष की आयु के अध्यधीन पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(4) कुलपति की परिलब्धियां तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं तथा उन्हें उसकी नियुक्ति के बाद उसके अहित में बदला नहीं जाएगा ।

(5) कुलपति बोर्ड को सम्बोधित करते हुए लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है तथा उसे बोर्ड के सचिव को ऐसी तिथि जिसको वह भारमुक्त होना चाहता है से कम से कम दो मास पूर्व भेजेगा ।

(6) जब कुलपति का पद उसके त्यागपत्र या उसकी पदावधि की समाप्ति के कारण रिक्त होता है या होने की संभावना है, तो कुलसचिव बोर्ड को तथ्य की तुरंत रिपोर्ट करेगा तथा ऐसी रिक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी ।

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य । 21. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष होगा, और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां इत्यादि प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण करने तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति, जब तक वह अस्थायी रूप से विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को इस शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं करता है, तब तक शिक्षा परिषद् की बैठक बुलाएगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों की अनुपालना निष्ठापूर्वक सुनिश्चित करेगा तथा सभी ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो इस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति बोर्ड को बजट तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) किसी आपातकाल की दशा में, जहां कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई की जानी आवश्यक है, तो वह बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पदच्युति, हटाना तथा पदावनयन के सिवाय ऐसी सभी कार्रवाई करेगा जिसे वह आवश्यक समझे तथा वह यथासंभव शीघ्र संबंधित प्राधिकरण को की गई कार्रवाई के बारे में पुष्टि के लिए रिपोर्ट करेगा, या जिस सामान्य अनुक्रम में मामलों का निपटान करता रहा हो किंतु इस धारा की कोई भी बात जो बजट में न तो सम्यक् रूप से प्राधिकृत की गई है तथा न ही उपबंधित की गई है, उपगत किसी खर्च के लिए कुलपति को सशक्त की गई नहीं समझी जाएगी :

परन्तु उसके अहित में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट कार्यवाही से व्यथित कोई व्यक्ति तिथि जिसको उसके विरुद्ध कार्रवाई उसको संसूचित की गई है, से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है ।

(8) यथा उपरोक्त के अध्यधीन कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन या पदच्युति इत्यदि के संबंध में बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा का समन्वय तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(10) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं।

कुलसचिव ।

22. (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से जो विश्वविद्यालय में आचार्य के पद से नीचे की हैसियत का न हो या जो पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी–प्रशासनिक अनुभव सहित उत्कृष्ट परिषद् सदस्य हो, नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुल–सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा तथा सीधा कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(3) कुल–सचिव यथाविहित ऐसा पारिश्रमिक तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करेगा।

23. कुल–सचिव,– कुल–सचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य ।

(क) बोर्ड तथा शिक्षा परिषद् का पदेन–सचिव होगा और बोर्ड तथा शिक्षा परिषद् के समक्ष सभी ऐसी जानकारी रखेगा जो बोर्ड तथा शिक्षा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक हो;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मोहर की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन–पत्र प्राप्त करेगा;

(घ) अनिवासी भारतीय छात्रों, अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित छात्रों, विदेशी छात्रों तथा उद्योगों द्वारा प्रायोजित छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था करेगा;

(ङ) सभी पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और इससे संबंधित जानकारी का स्थाई अभिलेख रखेगा;

(च) ऐसी परीक्षा जो विहित की जाए, के संचालन के लिये व्यवस्था करेगा और उससे सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कुलपति द्वारा समय–समय पर विहित किए जाएं।

24. (1) लेखा–नियन्त्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा लेखा नियन्त्रक। और बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) नियन्त्रक विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निवेशों का प्रबन्ध करेगा और इसकी वित्तीय नीति के बारे में सलाह देगा।

(3) लेखा–नियन्त्रक विश्वविद्यालय के बजट तथा लेखा विवरण की तैयारी सहित इसके सभी वित्तीय मामलों के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) लेखा–नियंत्रक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो विहित किया जाए।

(5) लेखा–नियंत्रक,–

(क) सुनिश्चित करेगा कि खर्च जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश के सिवाय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया गया है;

(ख) कोई खर्च जो किन्हीं परिनियमों के निबंधनों में प्राधिकृत न किया गया हो या जिसके लिए परिनियमों द्वारा उपबंध किये जाने की आवश्यकता हो किन्तु अभी तक न किया गया हो, को अस्वीकृत करेगा; तथा

(ग) सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी धन, किसी अनुसूचित बैंक में रखेगा।

स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन ।

25. (1) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित सभी मामलों के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था, प्रवर्तन तथा संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, शिक्षा, अनुसंधान तथा नियोजन के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, अभिकरण या व्यष्टि के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

महाविद्यालय का डीन ।

26. (1) महाविद्यालय का डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) डीन, महाविद्यालय सम्बन्धी सभी मामलों के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) डीन, महाविद्यालय, शिक्षण की व्यवस्था, प्रवर्तन तथा संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) डीन, शिक्षा, अनुसंधान तथा नियोजन के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, अभिकरण या व्यष्टि के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

निदेशक, अनुसंधान ।

27. (1) विश्वविद्यालय में निदेशक, अनुसंधान होगा जो बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) निदेशक, अनुसंधान, पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान या सहबद्ध विज्ञान में प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय तथा इसके संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों का आरम्भ, मार्गदर्शन तथा समन्वय करेगा तथा कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

निदेशक, विस्तार शिक्षा।

28. (1) निदेशक, विस्तार शिक्षा होगा जो, पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान या सहबद्ध विज्ञान में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा तथा किसानों तथा गृहणियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण के परिणामों को लागू करने में उनको सहायता देने के लिए कार्यक्रमों को तैयार करेगा।

निदेशक, विस्तार शिक्षा के कृत्य।

29. (1) निदेशक, विस्तार शिक्षा निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान जो प्राथमिक रूप से शैक्षिक प्रकृति के हैं;

(ख) राष्ट्रीय विस्तार खण्ड के लिए विस्तार अधिकारी तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए अनुदेशक को प्रशिक्षण देने; तथा

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो विहित किए जाएं ।

(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा पशुपालन तथा डेयरिंग, मत्स्य, सहकारिता विभागों या किसी अन्य विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के साथ समन्वयन करने में अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

निदेशक, छात्र कल्याण–एवं–सम्पदा अधिकारी ।

30. (1) निदेशक, छात्र कल्याण–एवं–सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा कुलपति द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा ।

(2) निदेशक, छात्र कल्याण–एवं–सम्पदा अधिकारी निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) छात्रों के आवास की व्यवस्था करने;

(ख) छात्रों की काउंसिलिंग के कार्यक्रमों को बनाने;

(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के रोजगार की व्यवस्था करने;

(घ) छात्रों की पाठ्यचर्या से भिन्न बाह्य गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों की नियोजन में सहायता करने;

(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा बनाये रखने; तथा

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो विहित किए जाएं ।

(3) निदेशक, छात्र कल्याण–एंव–संपदा अधिकारी विश्वविद्यालय के सभी भवनों, मैदानों, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा अन्य संपत्तियों की अभिरक्षा, रख–रखाव तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा ।

अध्याय IV

महाविद्यालय तथा संस्थाएं

महाविद्यालय की संरचना।

31. (1) प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2) प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष होगा, जो रेजिडैन्ट शिक्षण के लिए सम्बद्ध डीन; अनुसंधान कार्य के लिए निदेशक, अनुसंधान ; तथा विस्तार शिक्षा के लिए निदेशक, विस्तार शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) विभाग के अध्यक्ष का चयन कुलपति द्वारा किया जाएगा तथा उस द्वारा यथाविहित रीति में, बोर्ड के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

(4) विभाग के अध्यक्ष के कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्याय V

सेवाएं

वेतन तथा भत्ते ।

32. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जो कुलपति द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से अवधारित किए जाएं।

सेवानिवृत्ति तथा सेवा की अन्य शर्तें।

33. विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

भविष्यनिधि ।

34. विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए उपदान तथा भविष्यनिधि का गठन ऐसी रीति में, तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन करेगा, जो विहित की जाएं।

35. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के तकनीकी अमले के सदस्य संबंधित विभाग के सदस्यों के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति। तकनीकी अमले की चयनित किए जाएंगे तथा आगे संबंधित डीन या निदेशक, अनुसंधान या निदेशक, विस्तार शिक्षा, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा कुलपति को, सिफारिश की जाएगी तथा बोर्ड के अनुमोदन से उस द्वारा नियुक्त किये जाएंगे ।

36. कुलपति ऐसे समय के लिए जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का विधिवत् गठन नहीं होता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की अस्थायी तौर पर नियुक्ति कर सकता है । अस्थाई व्यवस्था ।

अध्याय–VI

परिनियम और विनियम

37. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन परिनियम निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :– परिनियम।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन, शक्तियों तथा कर्तव्यों;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का पद पर चयन, नियुक्तियाँ तथा बने रहने;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की रिक्तियों को भरने, पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियों तथा कर्त्तव्यों;

(घ) अध्यापकों के वर्गीकरण, रिक्तियों को भरने तथा नियुक्ति की रीति;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए उपदान या भविष्य–निधि या दोनों का गठन करने;

(च) उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि संस्थित करने;

(छ) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने;

(ज) महाविद्यालय के विभागों की स्थापना, समामेलन, उप–विभाजन तथा समाप्ति;

(झ) छात्रावासों की स्थापना तथा समाप्ति;

(ञ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कारों को संस्थित करने ;

(ट) स्नातकों का रजिस्टर रखने ;

(ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों का दाखला तथा उनका नामांकन तथा ऐसे रूप में जारी रखने ;

(ड) विश्वविद्यालय के उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ढ) शर्तें जिनके अधीन छात्रों को उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए दाखिल किया गया है तथा रीति जिसमें परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं तथा उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करने के लिए पात्रता ;

(ण) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए छात्रावासों में निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण करने ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा न बनाए गए छात्रावासों को मान्यता देना तथा पर्यवेक्षण करने ;

(थ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या, योग्यताओं, परिलाभों तथा अन्य सेवा शर्तें तथा उनकी सेवाओं तथा गतिविधियों का अभिलेख तैयार करने तथा रख–रखाव करने ;

(द) विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(ध) विश्वविद्यालय के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्तों सहित पारिश्रमिक तथा भत्ते ;

(न) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक, पुरस्कार, वजीफे तथा फीस में रियायत देने के लिए शर्तें ; तथा

(प) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों या विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किए जा सकते हैं।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे।

38. (1) वर्तमान विश्वविद्यालय के लिये बनाए गए तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरन्त पूर्व लागू परिनियमों के सुसंगत उपबंध जहां तक ये इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है तथा ऐसे अनुकूलनों तथा रुपांतरणों के अध्यधीन है, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम होंगे ।

(2) बोर्ड समय–समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है, और इनका संशोधन या निरसन कर सकता है ।

(3) शिक्षा परिषद्, बोर्ड को परिनियमों का प्रारूप प्रस्तुत कर सकती है तथा ऐसा प्रारूप बोर्ड द्वारा इसकी अगली बैठक में विचारा जायेगा :

परन्तु शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम या उसमें किसी संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो तथा इस प्रकार व्यक्त किसी राय पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा ।

(4) बोर्ड किसी ऐसे प्रारूप पर दिचार कर सकता है जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, तथा प्रस्तावित परिनियमों को पारित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या इसे शिक्षा परिषद् को या तो पूर्णतया या भागतः किसी संशोधन जो यह सुझाव करे सहित पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है ।

(5) बोर्ड का कोई भी सदस्य,–

(क) बोर्ड को किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है और बोर्ड या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, या अस्वीकार कर सकता है, यदि यह ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जो शिक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र में नहीं आता ;

(ख) यदि, ऐसा प्रारूप किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जो शिक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र में आता है, तो बोर्ड इसे शिक्षा परिषद् को विचार हेतु भेज सकता है, जो या तो बोर्ड को रिपोर्ट देगी कि प्रस्ताव उस द्वारा अनुमोदित है या नहीं है तो तब यह बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया समझा जायेगा या ऐसे रूप में बोर्ड को प्रारूप प्रस्तुत किया जायेगा जैसा शिक्षा परिषद् अनुमोदन करे ; तथा

(ग) खण्ड (ख) के उपबंध बोर्ड को खण्ड (क) के अधीन बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप की दशा में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे शिक्षा परिषद् द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किए गए प्रारूप की दशा में लागू हों ।

विनियम।

39. (1) वर्तमान विश्वविद्यालय के लिए बनाए गए तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरंत पूर्व लागू विनियम जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं तथा ऐसे अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन हैं विश्वविद्यालय के प्रथम सुसंगत विनियम होंगे।

(2) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम तथा परिनियमों से संगत निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकते हैं–

(क) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर दोनों पदों के लिए उपयुक्त भर्ती प्रक्रिया ;

(ख) कर्मचारियों का आचरण तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार तथा अन्य चूक के मामलों में अपनाई जाने वाली अनुशासनिक प्रक्रिया ;

(ग) बैठकों की तिथियों तथा बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए भी प्रत्येक प्राधिकरण के सदस्यों को नोटिस देने ;

(घ) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ.) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन संबंधित तथा उपबंधित किये गये सभी मामले ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, ऐसी तिथि, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, को लागू होगा।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण।

40. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, ऐसे निर्देश जो इसे जारी किए जाएं, का पालन करेगा।

(2) राज्य सरकार, किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किये गये आवेदन पर, पारित किये गये किसी आदेश या जारी किये गये निर्देशों की वैद्यता या उपयुक्तता या सहीपन के बारे में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निपटाए गए किसी मामले या पारित किए गये किसी आदेश के अभिलेख मांग सकती है तथा उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकती है या ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह ठीक समझे :

परन्तु राज्य सरकार, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या इसके विकास संक्रमों के निरीक्षण या परीक्षण के लिए तथा उस पर रिपोर्ट करने के लिए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकती है तथा इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी ऐसे निरीक्षण या परीक्षण प्रयोजनों के लिए–

(क) इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण या किसी समिति की किसी कार्यवाही, अभिलेख, पत्र–व्यवहार, योजना या अन्य दस्तावेजों से कोई उद्धरण;

(ख) किसी विवरणी, अनुमानों, लेखा विवरण, सांख्यिकी;

(ग) किसी रिपोर्ट,

की मांग कर सकता है तथा विश्वविद्यालय उसे प्रस्तुत करेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

41. कोई भी ऐसी बात जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, के बारे में किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

प्रथम कुलपति की अस्थाई शक्तियां।

42. (1) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से छह मास की अवधि या एक वर्ष से अनधिक ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश करे विश्वविद्यालय बोर्ड तथा अन्य प्राधिकरणों को गठित करने के लिए व्यवस्था करे।

(2) प्रथम कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से, ऐसे विनियम बना सकता है जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक हों।

(3) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परिनियमों के प्रारूप जो तुरंत आवश्यक हों बनाए तथा उन्हें बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे।

(4) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी तथा ऐसे समय तक इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकरण सम्यक् रूप से गठित नहीं किया जाता है, तो प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन ऐसी समिति की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए अस्थाई रूप से किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है या किसी समिति का गठन कर सकता है।

अधिकारों का लोक सेवक होना।

43. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट।

44. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के दौरान बनाए गए विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों के संशोधन जैसे ब्यौरे देते हुए कुलपति के निदेशाधीन तैयार की जाएगी तथा बोर्ड को ऐसी तिथि को या इसके बाद जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए प्रस्तुत की जाएगी तथा बोर्ड रिपोर्ट पर अपनी बैठक में विचार करेगा।

अध्याय–VII

वित्त, लेखा तथा लेखापरीक्षा

सामान्य निधि।

45. विश्वविद्यालय की सामान्य निधि होगी तथा इसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) फीस, विन्यास, अनुदान तथा विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों से आय ;

(ख) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तों पर जो उस सरकार द्वारा अधिरोपित की जाए से प्राप्त अंशदान या अनुदान; तथा

(ग) अन्य अंशदान, अनुदान, चंदा तथा दान ।

अन्य निधि।

46. विश्वविद्यालय ऐसी अन्य निधियां, जो विहित की जाएं, रखेगा ।

वित्त समिति का गठन।

47. विश्वविद्यालय निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए वित्त समिति का गठन करेगा, अर्थात् :–

(क) कुलपति;

(ख) लेखा नियंत्रक;

(ग) बोर्ड द्वारा अपने सरकारी सदस्यों में से चुना गया सदस्य; तथा

(घ) बोर्ड द्वारा अपने गैर–सरकारी सदस्यों में से चुना गया सदस्य।

वित्त समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य।

48. (1) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों का परीक्षण करना तथा उन पर बोर्ड को सलाह देना ;

(ख) वार्षिक बजट अनुमानों का परीक्षण करना तथा उन पर बोर्ड को सलाह देना ;

(ग) विश्वविद्यालय की समय–समय पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना ;

(घ) विश्वविद्यालय को विश्वविघालय की वित्त से संबंधित सभी मामलों पर सिफारिश करना ; तथा

(ङ) बोर्ड को सभी अन्तर्वलित खर्च प्रस्तावों जिनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है या जिनके लिए बजट में उपबंधित राशि से अधिक खर्च अन्तर्वलित है पर सिफारिश करना।

(2) राज्य सरकार को लेखे तथा तुलन–पत्र बोर्ड के माध्यम से कुलपति द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उनकी लेखापरीक्षा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करवाएगी।

(3) लेखों की जब–जब लेखापरीक्षा की जाए मुद्रित किए जाएंगे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ–साथ उनकी प्रतियां बोर्ड को कुलपति द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी जो राज्य सरकार को उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो वह उपयुक्त समझे, भेजेगा।

राज्य सरकार की सीधी लेखा परीक्षा करने की शक्ति।

49. राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के लेखों की ऐसे लेखा परीक्षक या अभिकरण, जिसे वह निदेश करे द्वारा विशेष लेखा–परीक्षा करने के आदेश करने की शक्ति होगी।

अध्याय–VIII

विविध

विश्वविद्यालय को महाविद्यालय, संस्था तथा कर्मचारियों का अंतरण।

50. (1) पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, पशु विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, जंतु विज्ञान विभाग में मत्स्य यूनिट, उपरोक्त पशुचिकित्सा विज्ञान, महाविद्यालय से संलग्न छात्रावास, उससे संबंधित सभी अन्य चल तथा अचल आस्तियां, दायित्व तथा बाध्यताएं विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगी तथा में निहित हो जाएंगी। पशु विज्ञान महाविद्यालय को पशु विज्ञान विभाग के रूप में पुनः नामित किया जाएगा तथा मत्स्य यूनिट को मत्स्य विज्ञान विभाग के रूप में पुनः नामित किया जाएगा तथा दोनों विश्वविद्यालय में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के भाग बन जाएंगे :

परन्तु जब तक विश्वविद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, अस्पताल, खेल मैदान, अतिथि गृह, सभा भवन, क्लब, जन स्वास्थ्य सेवा तथा कर्मचारियों के लिए आवास या वर्तमान विश्वविद्यालय में उपलब्ध कोई अन्य सुविधा की सुविधाओं का समान अधिकार जारी रखेगा ।

(2) पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, पशु विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, जंतु विज्ञान विभाग में मत्स्य यूनिट, उपरोक्त पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न छात्रावास के नियोजन के अधीन व्यक्ति विश्वविद्यालय को उन्हीं निबंधनों तथा सेवा शर्तों पर जो उपरोक्त महाविद्यालय या संस्था में उन्हें लागू हैं स्थानान्तरित हो जाएंगे जब तक ऐसी शर्तें ऐसे व्यक्तियों की सहमति से परिवर्तित नहीं की जाती हैं :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो राज्य सरकार इत्यादि से उक्त महाविद्यालय या संस्था में प्रतिनियुक्ति पर नियोजित किया गया है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) वर्तमान विश्वविद्यालय के प्रशासन के केन्द्रीय कार्यालयों अर्थात् कुल–सचिव, लेखा–नियंत्रक, निदेशक, छात्र कल्याण, सम्पदा अधिकारी, डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन, निदेशक, अनुसंधान, निदेशक, विस्तार शिक्षा, पुस्तकाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय अस्पताल या कोई अन्य केन्द्रीयकृत कार्यालयों के कर्मचारी या पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य पालन से सम्बन्ध रखने वाली सुविधाएं तथा बजट के साथ–साथ सम्बन्धित गतिविधियां विश्वविद्यालयों को अंतरित हो जाएंगी।

आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन।

51. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, वर्तमान विश्वविद्यालय की पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान तथा मत्स्य विज्ञान से सम्बन्धित आस्तियां तथा दायित्व निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएंगे तथा में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :–

(क) वर्तमान विश्वविद्यालय की कोई आस्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व पशु चारा या आहार उत्पादन के लिए प्रयुक्त कृषि भूमि, डेयरी तथा कुक्कट पालन, मत्स्य पालन सहित पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा रोग मुक्त लघु पशु गृह से सम्बन्धित है तथा ऐसी सम्पत्ति का प्रत्येक अधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएगा तथा में निहित हो जाएगा ;

(ख) वर्तमान विश्वविद्यालय के इमुनॉलोजी (टिक बोर्न डिजिज) के निर्माण से लगे हुए प्रयोगात्मक क्षेत्र की भूमि विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएगी ।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आरित" सभी चल तथा अचल सम्पत्ति, अधिकार, शक्ति, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार तथा सभी अन्य अधिकार तथा ऐसी सम्पत्ति से आने वाले ब्याज जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व वर्तमान विश्वविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियन्त्रण में थे, में शामिल की गई समझी जाएंगी तथा उससे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें, रजिस्टर, अभिलेख तथा किसी भी स्वरूप के सभी अन्य दस्तावेज भी वर्तमान विश्वविद्यालय के अस्तित्वशील पर किसी भी स्वरूप की सभी बाध्यताएं शामिल की गई समझी जाएंगी ।

विधिक कार्यवाहियां।

52. यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा या के विरुद्ध कोई वाद, अपील या किसी भी स्वरूप की अन्य कार्यवाही लम्बित है, तो वह वर्तमान विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के कारण समाप्त नहीं होगी या बंद नहीं की जाएगी या किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, किन्तु ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां सम्बद्ध विश्वविद्यालय जिससे पुनर्गठन के बाद ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाही की विषय वस्तु संबंधित है, द्वारा जारी रखी जाएंगी, अभियोजित की जाएंगी या प्रवर्तित की जाएंगी या के विरुद्ध जारी रहेंगी, अभियोजित रहेंगी या प्रवर्तित रहेंगी ।

अभिवचनों का अधिप्रमाणीकरण।

53. विश्वविद्यालय द्वारा या के विरुद्ध सभी वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में, अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी तथा सत्यापित की जाएंगी तथा ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों में सभी प्रक्रिया जारी की जाएंगी तथा उसको तामील की जाएंगी।

वर्तमान विश्वविद्यालय के किसी दस्तावेज में संदर्भों का अर्थान्वयन।

54. इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में वर्तमान विश्वविद्यालय के किसी संदर्भ या किसी संविदा या अन्य लिखत का अर्थ लगाया जाएगा—

(क) यदि ऐसा संदर्भ वर्तमान विश्वविद्यालय की किसी आस्ति या सम्पत्ति से संबंधित है, तो वर्तमान विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में ; तथा

(ख) किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में।

वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा निर्वहन की जाने वाली बाध्यताएं।

55. यदि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व वर्तमान विश्वविद्यालय ने कोई परीक्षा आयोजित की है, किन्तु उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों में वर्तमान विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करेगा तथा उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा मार्क–शीट, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान करेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

56. इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्य रूप देने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो कठिनाईयां दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद नहीं किया जाएगा।

आर० सी० बंसल,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।